कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर

क्रं0 / / स्टोर / जि0पंचा0 / 2010 जबलपुर दिनांक

/ / निविदा / /

जिला पंचायत जबलपुर द्वारा टैक्सी कोटे की चार पहिया वाहन एक वर्ष हेतु किराये पर लिया जाना है । अतः वाहनों की किराये दैनिक / मासिक / वार्षिक दरें (पी.ओ.एल. छोड़कर) सील बंद लिफाफे में दिनांक 26.12..2010 को अपरान्ह 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा पत्र खोलने की कार्यवाही 26.12.2010 को अपरान्ह 5.30 बजे की जावेगी ।

विस्तृत शर्तें कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला पंचायत की वेबसाईट www.zpjabalpur.nic.in पर देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

पृ0 क्रं0 / / स्टोर / जि0पंचा0 / 2010 जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपिः–

प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल की ओर प्रकाशन हेतु । कृपया निविदा डी.ए.व्ही.पी. दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत जबलपुर

निविदा फार्म

1. वाहन मालिक का नाम
2. पता
3. टेलीफोन नं./मो0 नं.
4. वाहन का प्रकार
5. वाहन का क्रय करने का वर्ष
6. वाहन की प्रति लीटर डीजल की खपत कि0मी0 में
7. वाहन क्रमांक
8. वाहन का चेचिस नं.
9. वाहन कितने किलोमीटर चल चुका है
10. वाहन का रंग
11. वाहन का पंजीयन क्रमांक
12. वाहन का बीमा पंजीयन क्रमांक
13. वाहन चालक का नाम व पूर्ण पता एवं टेलीफोन नं.
14. वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेंस
15. वाहन चालक का अनुभव (प्रमाण पत्र के साथ)
16. वाहन फार्म के साथ प्रतिपूर्ति राशि का बैंक डाफट नं. राशि
17. वाहन किराये की औसत मासिक दर रूपये
18. वाहन के द्वारा कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है
19. वाहन के एक्सीडेंट होने के उपरांत न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन तो नहीं है
20. अन्य विवरण

वाहन मालिक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ....आत्मज ....निवासी.........................
....प्रमाणित करता हूं कि निविदा फर्म के विरूद्ध 1 से 20 तक दी गई जानकारी पूर्णतः सही है इसके उपरांत भी यदि कभी भी दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा अनुबंध निरस्त करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर स्वतंत्र होंगे ।

जबलपुर.
दिनांक

वाहन मालिक के हस्ताक्षर

P.E..DOC/COMP3

वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित निविदा की निर्धारित शर्ते

1. निविदा फार्म कार्यालय जिला पंचायत जबलपुर से दिनांक 20.12.2010 से 26.12.2010 को (अवकाश दिनों को छोड़कर) सायं 5.30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है जिसकी दर 100/– होगी ।
2. प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा एक ही टेंडर फार्म भरा जायेगा ।
3. टेंडर फार्म निर्धारित समय में जमा करते समय प्रतिपूर्ति राशि रू. 1500 रू. प्रतिवाहन/बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर के नाम से देय होगा, जमा करना अनिवार्य है ।
4. आवेदन पत्र/निवदा फार्म में वाहन का प्रकार, मॉडल, रजिस्टेशन नं., लायसेंस, वाहन चालक का नाम इत्यादि का विवरण भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।
5. वाहन का माडल 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ।
6. वाहन की प्रति लीटर डीजल/पेटोल की औसत 10 किमी से कम नहीं होनी इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता पर क्षतिपूर्ति की जवाबदारी होगी ।
7. किराये की अवधि में डीजल/पेटोल को छोडकर वाहन के संधारण पर होने वाले टूटफूट, बेटी, टायर टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
8. यात्रा के दौरान वाहन को दुर्गम स्थान में भी ले जाया जावेगा । वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा ।
9. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियें के टायर–टयूब अच्छे होना चाहिए एवं माईलोमीटर चालू स्थिति में होना चाहिये इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
10. वाहन प्रदाता को हर समय अपने ड्रायवर को कार्य के लिये तैयार रहने का आदेश देना होगा। क्योंकि वाहन 24 घंटे अधोहस्ताक्षरी के अधीन रहेगा ।
11. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन मय ड्रायवर के उपलब्ध कराया जावेगा जिसके पास नियमानुसार वाहन चालक का वैध लायसेंस होना आवश्यक है ।
12. डायवर का वेतन भत्ता व अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है वाहन प्रदाता स्वयं वहन करेगा ।
13. वाहन प्रदाता के डायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस आदि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना अनिवार्य होगा ।
14. वाहन टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में होना चाहिये । किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी उसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा ।
15. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा । यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।

16. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । दो घंटे से अधिक वाहन खराब होने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जायेगा । वाहन खराब होने के स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

17. वाहन प्रदाता अपने स्वयं के उपयोग के लिये यदि वाहन चाहता है तो उसे 15 दिन पूर्व उपयोगकर्ता अधिकारी को लिखित में आवेदन कर अपना वाहन ले सकेगा बिना अनुमति के स्वयं के उपयोग में लेता तो वाहन प्रदाता कार्यालय को अन्य वाहन की व्यवस्था करेगा। अन्य वाहन की व्यवस्था वाहन प्रदाता द्वारा नहीं किये जाने पर कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वाहन लिया जाता है तो उसे उस निर्धारित दर की अंतर की राशि को वाहन प्रदाता को देय राशि में से समायोजित कर ली जायेगी ।

18. वाहन प्रदाता को उपयोगकर्ता अधिकारी के माध्यम से वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा । मांग अनुसार लगातार 3 दिवस तक वाहन प्रदाय किये जाने एवं शर्ते का उल्लंघन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी । यदि अनुबंध अवधि के दौरान किसी कारणवश वाहन प्रदाता वाहन उपलब्ध कराने असमर्थ हो जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देने होगी ।

19. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रिडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में करना होगा । प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि पत्रक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

20. वाहन चालक के अवकाश पर जाने से पूर्व दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था आपकी होगी । यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन खडे होने पर दैनिक दर जो लागू होगी उससे दुगनी राशि काटी जावेगी ।

किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत,
जबलपुर

P.E..DOC/COMP3